

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना—15, दिनांक 7 मई, 2022

संख्या—1/पी—1002/2022—सा0प्र0—6902/श्री राज कुमार, भा0प्र0से0(2010), निदेशक, समाज कल्याण (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, निःशक्तता) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें भोजपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा0प्र0—6903/श्रीमती इनायत खान, भा0प्र0से0(2012), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें अररिया जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा0प्र0—6904/श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें मधुबनी जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री वर्मा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा0प्र0—6905/श्री श्रीकान्त शास्त्री, भा0प्र0से0(2012), राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973(एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें किशनगंज जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा0प्र0—6906/श्री रौशन कुशवाहा, भा0प्र0से0 (2014), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973(एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें बेगूसराय जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

ठेकेदार

1/3

संख्या—1/पी—1002/2022—सा०प्र०—6907/श्रीमती उदिता सिंह, भा०प्र०से० (2014), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी वैशाली, हाजीपुर (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदरथापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें नवादा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा०प्र०—6908/श्री यशपाल मीणा, भा०प्र०से०(2014), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा(अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के पद पर पदरथापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें वैशाली, हाजीपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री मीणा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा०प्र०—6909/श्री सुहर्ष भगत, भा०प्र०से० (2015), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बौंका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया पद पर पदरथापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें पूर्णिया जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा०प्र०—6910/श्री मनेश कुमार मीणा, भा०प्र०से० (2015), महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदरथापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें सीतामढ़ी जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा०प्र०—6911/श्री सावन कुमार, भा०प्र०से० (2015), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार—अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/मिशन निदेशक, जल—जीवन—हरियाली मिशन/ निदेशक,कृषि) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदरथापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एकट—2,1974) की धारा—20 के तहत उन्हें शेखपुरा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

ष्ट्री

संख्या—1/पी—1002/2022—सा०प्र०—6912/श्री रिची पाण्डेय, भा०प्र०से०(2016), उपविकास आयुक्त, पटना (अतिरिक्त प्रभार—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार) को रथानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट—2, 1974) की धारा—20 के तहत उन्हें जहानाबाद जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा०प्र०—6913/श्री अंशुल कुमार, भा०प्र०से० (2016), संयुक्त सचिव, खान एवं भू—तत्व विभाग, बिहार, पटना को रथानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बौका के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट—2, 1974) की धारा—20 के तहत उन्हें बौका जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या—1/पी—1002/2022—सा०प्र०—6914/श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा०प्र०से० (2016), प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार रेट फॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना) को रथानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट—2, 1974) की धारा—20 के तहत उन्हें शिवहर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री गुप्ता अगले आदेश तक बन्दोबस्तु पदाधिकारी, शिवहर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
१०४/—
—७.५.२२

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—1/पी०—1002/2022—सा०प्र०—6914/ पटना—15, दिनांक: 7 मई, 2022

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा—आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/रथानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को री०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१०४/—
—७.५.२२
सरकार के अवर सचिव।